इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2017—पौष 23, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

जन सम्पर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-5-16-2011-जसं-चौबीस.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2012 द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को 62 वर्ष की आयु के बाद रुपये 5000 प्रतिमाह श्रद्धानिधि दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे.

प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों के लिये श्रद्धानिधि योजना नवम्बर 2012 से प्रभावशील है. इस अवधि में AICPIN में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धानिधि की वर्तमान दर रुपये 5000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 6000 प्रतिमाह करने की सहमति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई है.

अतः, राज्य शासन द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धानिधि रुपये 5000 से बढ़ाकर रुपये 6000 प्रतिमाह किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है. शेष शर्तें यथावत् रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. चौधरी, अपर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2016

अधिसूचना क्र.-भ.स.क.म.म.-2016-8056.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, दिनांक 18 जुलाई 2014 यथासंशोधित दिनांक 7 अगस्त 2015 द्वारा अधिसूचित योजना **"मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना"** में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :—

अर्थात् :—

"(1) योजना की कंडिका (7) अनुग्रह राशि-पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा में निम्नानुसार अनुग्रह राशि देय होगी,—

1. सामान्य मृत्यु की दशा में,—

(i) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष या कम होने पर रुपये 75 हजार
(ii) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष से अधिक होने पर रुपये 25 हजार

2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपये 1 लाख
3. दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर रुपये 75 हजार

के स्थान पर—

1. सामान्य मृत्यु की दशा में—

(i) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष या कम होने पर रुपये 02 लाख
(ii) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष से अधिक होने पर रुपये 01 लाख

2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपये 04 लाख
3. दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर रुपये 02 लाख

प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. योजना की कंडिका 9 की पंक्ति **"मृत्यु के छह माह तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृति योग्य होंगे"** के स्थान पर—

"मृत्यु/दुर्घटना दिनांक से छह माह तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृति योग्य होंगे"

प्रतिस्थापित किया जाता है.

अधिसूचना क्र.-भ.स.क.म.म-2016, 8058.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम, 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, दिनांक 5 दिसम्बर 2014 यथासंशोधित दिनांक 18 दिसम्बर 2015 द्वारा अधिसूचित योजना "निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान दुर्घटना में अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु/अपंगता की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना" में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :—

अर्थात् :—

(1) योजना की कंडिका ग(4) अनुग्रह राशि-योजनांतर्गत निम्नानुसार अनुग्रह राशि देय होगी,—

1. निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपये 1 लाख
2. निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर रुपये 75 हजार

के स्थान पर—

1. निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपये 04 लाख
2. निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर रुपये 02 लाख

प्रतिस्थापित किया जाता है.

एस. एस. दीक्षित, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.